परीक्षा नियंत्रक
Controller Of Examination

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी –221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-221002

दिनांक– 16 सितम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08–09–2025 में लिये गये स्नातक (NEP) बी0ए0/बी0काम0 एवं बी0एस–सी0 विश्वविद्यालय परिसर/गंगापुर परिसर/एन0टी0पी0सी0 परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपद के परीक्षार्थियों का **पंचम/षष्ठम्** सेमेस्टर शैक्षिक सत्र 2024–25 की विशेष परीक्षा मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार नियमानुसार कराये जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने एवं जमा करने की तिथि अधोलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित/विस्तारित की जाती है–

1–स्नातक पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर में अनुपस्थित एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का ही विशेष परीक्षा हेतु पोर्टल खोला गया है।

2–परीक्षार्थी को किन्हीं 02 (दो) प्रश्नपत्रों में ही विशेष परीक्षा में आवेदन की अनुमति है।

3–प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की विशेष परीक्षाएं भी छात्रहित में यथाशीघ्र करायी जायेगीं।

स्नातक (NEP) स्पेशल परीक्षा आवेदन पत्र			
1.	आनलॉइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि–	:	16–09–2025 से 25–09–2025
2.	महाविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा करने की अन्तिम तिथि–	:	26–09–2025
3.	महाविद्यालय द्वारा अपने आई0डी0 एवं पासवर्ड द्वारा लागिन करके परीक्षा आवेदन पत्र एप्रूव (Approve) करने एवं परीक्षा शुल्क बाउचर (**Examination Fee Voucher**) जनरेट करने के पश्चात् उक्त पर अंकित निर्धारित परीक्षा शुल्क केवल **RTGS/NEFT** के माध्यम से निर्धारित खाते में जमा करने की अन्तिम तिथि–	:	दिनांक 27–09–2025

संलग्नकः राजभवन से जारी पत्रांक ई–6291/32–जी.एस./2025/ दिनांक 01 सितम्बर, 2025 का पत्र।

श्रीमती(**दीप्ति मिश्रा**)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक : प0सा0/845/स्नातक (NEP) बी0ए0/बी0काम एवं बी0एस–सी0 विशेष परीक्षा तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 मा0 कुलपति जी।
2 वित्त अधिकारी।
3 कुलसचिव।
4 कुलानुशासक।
5 समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यक्रम प्रभारी को इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्तानुसार छात्रों को अपने स्तर से भी अवश्य सूचित करने का कष्ट करें।
6 जनसंपर्क अधिकारी।
7 सहायक कुलसचिव (परीक्षा)।
8 प्राचार्य/प्रबंधक–वाराणसी/चन्दौली/भदोही/मीरजापुर/सोनभद्र जनपद को इस आशय से कि ऐसे इच्छुक छात्रों को अपने स्तर से **विशेष** परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।
9 अधीक्षक, परीक्षा गोपनीय।।
10 प्रभारी, संगणक केन्द्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11 सम्बन्धित एजेन्सी।

(**आनन्द कुमार मौर्य**)
उपकुलसचिव परीक्षा

o/c

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ–226027

पत्रांकः ई–6291/32–जी0एस0/2025

दिनांकः 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2025

R/COE | All Heads & Deans.

02/9/25

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान में शैक्षणिक एवं आन्तरिक सुदृढ़ता हेतु माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा निम्नांकित सुझाव प्रदान किये गये हैं:–

1. **ससमय परीक्षा और परिणाम**

ससमय परीक्षा आयोजित करना और परिणामों को समय पर घोषित करना शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को दर्शाता है, साथ ही परिणामों की समय पर घोषणा से विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों और कमियों का तुरंत आकलन करने का अवसर मिलता है, जिससे वे आगामी पाठ्यक्रम के लिए उचित सुधार कर सकते हैं। अतः विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा ससमय परीक्षा कराकर उनके परिणाम घोषित किये जायें।

2. **विश्वविद्यालय की उपाधि डिजिलॉकर पर अपलोड करना**

उपाधियों को डिजिलॉकर पर अपलोड करना आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है, इससे न केवल उपाधियों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होती है, बल्कि विद्यार्थी अपनी उपाधि को कभी भी और कहीं भी आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए विश्वविद्यालय/संस्थान उपाधियों को डिजिलॉकर में ससमय अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3. **शोध और नवाचार के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा बजट प्रावधान करना**

आज का युग नवाचार और शोध की शक्ति को अपनाने वाला युग है। विश्वविद्यालयों/संस्थानों को चाहिए कि वे अपने शिक्षकों के लिए शोध और नवाचार हेतु विशेष बजट का प्रावधान करें। इससे शिक्षक नई खोजों और तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें शोध हेतु आवश्यक अनुदान भी प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय/संस्थान शोध के लिए अपने निजी स्रोतों से बजट का सृजन करें और शोध कार्य सम्पादित करायें।

228
2-9-25

AR (exam)
Urgent
2/9/25

4. विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट्स तैयार कर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संस्थाओं से अनुदान/सहयोग प्राप्त करें

विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक और अनुसंधान प्रोजेक्ट्स तैयार कर उन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा करने से वे अनुदान और तकनीकी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके शोध कार्यों और विकास योजनाओं को सशक्त बनाएगा। विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की संस्थाओं से ग्राण्ट हेतु प्रस्ताव तैयार कर ससमय प्रस्तुत किया जाय और ग्राण्ट प्राप्त कर शोध कार्य पूर्ण कराये जायें।

5. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापन (Working/Active MOU)

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सक्रिय और प्रभावी समझौता ज्ञापन (MOU), शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे MOU से दोनों पक्षों के बीच सहयोग, छात्र और शिक्षक विनिमय, संयुक्त शोध परियोजनाएं और संसाधनों का साझा उपयोग संभव होता है। अतः ऐसे समझौता ज्ञापन (MOU) किये जायें जिनमें निरंतर गतिविधियाँ संचालित होती रहे।

6. विद्यार्थियों को नेपाल तथा अन्य देशों की शैक्षणिक यात्राओं पर भेजना

विद्यार्थियों को नेपाल तथा अन्य देशों की शैक्षणिक यात्राओं पर भेजना उनके ज्ञान और अनुभव को व्यापक बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। ऐसी यात्राओं से वे विभिन्न संस्कृतियों, शैक्षणिक प्रणालियों और आधुनिक तकनीकों से परिचित होती हैं, जो उनके व्यवसायिक और व्यक्तिगत विकास में मददगार सिद्ध होती हैं। अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक यात्राएँ विद्यार्थियों में वैश्विक दृष्टिकोण, सहिष्णुता और बहुमुखी सोच को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा, ये यात्राएँ नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करती हैं, जो भविष्य में कैरियर और शोध के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं।

7. बैक पेपर परीक्षा

विश्वविद्यालयों/संस्थानों में "बैक पेपर परीक्षा" एक ज्वलन्त समस्या है, "बैक पेपर परीक्षा" सम्पन्न कराये जाने हेतु स्पष्ट नियम/नीति निर्धारित न होने के कारण "बैक पेपर परीक्षा" समयान्तर्गत सम्पन्न नहीं हो पाती।

ऐसे छात्र जो युक्ति–युक्त कारण बताये जाने जैसे परीक्षा के दौरान अस्वस्थ हो जाने के कारण परीक्षा में सम्मिलित न होने की स्थिति में छात्र द्वारा शासकीय चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की दशा में "बैक पेपर परीक्षा" में सम्मिलित किया जाय, जो छात्र बिना किसी कारण के परीक्षा नहीं दी है, उन्हें बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित न किया जाय।

ऐसे छात्र जो राज्य/केन्द्र स्तर पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने अर्थात किसी प्रतियोगिता/कार्यक्रम(यथा एन.सी.सी., एन.एस.एस., किसी सेमिनार

आदि) में प्रतिभाग करने हेतु विश्वविद्यालय से बाहर होने के कारण परीक्षा में साम्मिल्लित नही हो पाये हैं, उन्हें "बैक पेपर परीक्षा" में सम्मिलित किया जाय। इसके अतिरिक्त एक ही शैक्षणिक सत्र में ही "बैक पेपर परीक्षा" में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/संस्थान अपना निर्णय लेते हुए राजभवन को अवगत करायें तथा निर्णय को छात्रहित में व्यापक रूप से प्रसारित करते हुए छात्रों को शिक्षण कक्ष में नोटिस के रूप में एवं विश्वविद्यालय के सार्वजनिक नोटिस बोर्ड के माध्यम से अवगत करायें तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाय।

8. **सामाजिक उत्तरदायित्व और मानव सेवा (Blood Donation Camp)**

विद्यार्थियों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना और मानव सेवा में भाग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम समाज में सहानुभूति, एकता और मदद की भावना को बढ़ावा देते हैं। रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों की जान बचती है, बल्कि विद्यार्थियों में सेवा भावना, सहकारिता और जिम्मेदारी का विकास भी होता है। ऐसे आयोजनों से सामाजिक चेतना जागृत होती है और समुदाय के प्रति सकारात्मक योगदान सुनिश्चित होता है।

इसलिए, विश्वविद्यालयों/संस्थानों को नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए और विद्यार्थियों को इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. सुधीर एम. बोबड़े)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।